आवश्यक / महत्वपूर्ण

पत्रांक–स0नि0–वा0क0 परिसम्पत्तियाँ / 2022–23 / 114 / राज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, राज्य कर, उ0प्र0
(सम्पत्ति अनुभाग)
लखनऊ::दिनांक:: 24 मई, 2022

1. **समस्त जोनल अपर आयुक्त,**
   राज्य कर, उ0प्र0।

2. **अपर निदेशक(प्रशिक्षण),**
   राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान,
   लखनऊ।

विषयः–प्रमुख सचिव, राज्य कर, उ0प्र0 की अध्यक्षता में दिनांक 21.05.2022 को जोन के साथ सम्पन्न डेस्कटॉप कांफ्रेसिंग के कार्यवृत्त का अनुपालन किये जाने के संबंध में।

दिनांक 21.05.2022 को जोन के अधिकारियों के साथ प्रमुख सचिव, राज्य कर, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में आहूत बैठक के कार्यवृत्त संख्या–84 दिनांक 23.05.2022 का संदर्भ ग्रहण करना चाहें, जो समस्त जोनल अपर आयुक्त, राज्य कर, को उपरोक्त कार्यवृत्त के सभी बिन्दुओं की अनुपालन आख्या दिनांक 05.06.2022 तक मासिक समीक्षा बैठक के माडयूल में अपलोड किये जाने के निर्देश दिये गये है।

बिन्दु संख्या–4 में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थित विभागीय सम्पत्तियों की सूची तैयार करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि विभागीय किसी भी सम्पत्ति पर किसी व्यक्ति द्वारा अवैध अतिक्रमण नहीं किया गया है और यदि किसी सम्पत्ति पर अतिक्रमण हुआ है तब उसे जिला प्रशासन के सहयोग से तत्काल अवमुक्त कराया जाए। प्रत्येक विभागीय कार्यालय में महिला शौचालय एवं दिव्यांगजनों के लिए रैम्प की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

आप विदित ही है कि विभागीय परिसम्पत्तियों पर किसी व्यक्ति द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया है तो उसे तत्काल जिलाधिकारी से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित कर अवैध मुक्त कराये जाए। आपके जोन में स्थित विभागीय सरकारी भूमि/प्रॉपर्टी का चिन्हांकन कर लें, यदि खाली पड़ी है तो तत्काल बाउण्ड्री वाल करा ले। बजट की उपलब्धता कम हो तो वार्ब्ड(कंटीला तार) लगायें। उक्त सरकारी सम्पत्ति(भूमि) पर विभाग का बोर्ड अवश्य लगा दें। यदि कहीं अतिक्रमण पाया जाता है तो तत्काल जिलाधिकारी को पत्र के द्वारा अवगत करायें, जिसकी प्रति मुख्यालय को भी दें। साथ ही साथ व्यक्तिगत रूप से संपर्क भी स्थापित कर कार्यवाही किये जाने एवं आपके जोन में कोई भी भूमि अतिक्रमण नहीं पायी गयी है, का प्रमाण पत्र व फोटोग्राफ भी तत्काल उपलब्ध कराये जाने के निर्देश मुख्यालय के पत्र संख्या–46 दिनांक 21.04.2022 एवं पत्र संख्या–92 दिनांक 17.05.2022 से पूर्व में ही दिये गये है।

अतः आपको विभागीय परिसम्पत्तियों के संबंध में बिन्दु संख्या–4 में उल्लिखित समस्त कार्यवाही पूर्ण किये जाने तथा विभागीय कार्यालय भवन/किराये के भवनों में संचालित कार्यालय भवनों के संबंध में इस पत्र के साथ प्रारूप संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि उपरोक्त निर्धारित प्रारूप–1 व प्रारूप–2 में अपने अधीनस्थ कार्यालयों की सम्पूर्ण सूचना संकलित कराते हुए, सत्यापित कराकर अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित **ई–मेल आई0डी0–ctconshqlu-up@nic.in** मुख्यालय को **03 दिवस** के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

24/05/2022

(सुधा वर्मा)
अपर आयुक्त, राज्य कर,
प्रभार–अपर आयुक्त(प्रशासन), राज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पृ0प0सं0 व दि0 उक्त।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. संयुक्त आयुक्त(स्था0अराज0/प्रभारी नजारत), राज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।
2. संयुक्त आयुक्त(आई0टी0), राज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को विभागीय वेब साइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

अपर आयुक्त, राज्य कर,
प्रभार–अपर आयुक्त(प्रशासन), राज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

प्रारूप-1

राज्य कर विभाग के विभागीय कार्यालयों में उल्लिखित तालिका से सम्बन्धित विवरण

क्रम सं0	जनपद	राज्य कर कार्यालय का पता	महिला प्रसाधन सुचारू रूप से ठीक है अथवा मरम्मत किया जाना है, की संख्या		कार्यालय भवन में महिलाओं/दिव्यांगों के लिए रैम्प है अथवा नहीं	कार्यालय में वाटरकूलर क्रियाशील है अथवा नहीं।	कार्यालय भवन में अग्निशमन यंत्र क्रियाशील है अथवा नहीं
			क्रियाशील महिला प्रसाधन की संख्या	मरम्मत योग्य महिला प्रसाधन की संख्या			
1							
2							
3							
4							
5							

सक्षम स्तर के अधिकारी का नाम/पदनाम

प्रारूप-2

राज्य कर विभाग के किराये के भवनों में संचालित हो रहे कार्यालय भवनों में उल्लिखित तालिका से सम्बन्धित विवरण

क्रम सं0	जनपद का नाम	कार्यालय का नाम व पता	महिला प्रसाधन सुचारू रूप से ठीक है अथवा मरम्मत किया जाना है, की संख्या		कार्यालय भवन में महिलाओं/दिव्यांगों के लिए रैम्प है अथवा नहीं	कार्यालय में वाटरकूलर क्रियाशील है अथवा नहीं ।	कार्यालय भवन में अग्निशमन यंत्र क्रियाशील है अथवा नहीं
			क्रियाशील महिला प्रसाधन की संख्या	मरम्मत योग्य महिला प्रसाधन की संख्या			
1							
2							
3							
4							
5							

सक्षम स्तर के अधिकारी का नाम/पदनाम